न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 3/2023

श्री ओमप्रकाश लोहार पुत्र दुर्गालाल लोहार निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 27.02.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1056—57 दिनाक 21.11.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 सरपंच किरण देवी सांसी ग्रा0प0 नासिरदा के विरूद्व कानूनी कार्यवाही के संबंध में रिकार्ड व आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ दिनांक 05.05.2022 से दिनांक आज तक पंचायत समिति देवली (टोंक) द्वारा दो कार्यो की जॉच रिपोर्टो के कमाक/पसदे/2022/2805 दिनांक 05.05.2022।

2 कमाक/पसदे/2022/4704 दिनांक 03.06.2022 आधार पर सरपंच किरण देवी सांसी ग्रा0प0 नासिरदा के विरूद्व कानूनी कार्यवाही के रिकार्ड व आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपिया व ब्यौरा उपलब्ध करवाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 108 दिनांक 30.01.2023 व 241 दिनांक 13.02.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 106 दिनांक 15.02.2023 से अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा दो बिन्दुओं पर सूचना चाही जा रही है। बिन्दु संख्या 1 का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक से व बिन्दु संख्या 2 का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 1197—98 दिनांक 25.11.2022 द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तरित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 105 दिनांक 15.02.2023 से कार्यालय में उपलब्ध सूचना की प्रमाणित प्रतिया प्रेषित कर अन्य सूचना बाबत् सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
टोंक